आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–110/2020

अंचल अधिकारी, परबत्ता .....वादी

बनाम

सुधीर कुमार वगैरह.....प्रतिवादी

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–114/2020

अंचल अधिकारी, परबत्ता .....वादी

बनाम

महजानी देवी.....प्रतिवादी

13/2/21

आदेश

प्रस्तुत दोनों वाद का अभिलेख अंचल अधिकारी, परबत्ता के पत्रांक–646 दिनांक–14.03.2020 एवं उसके साथ संलग्न क्रमशः जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–27/2019–20 एवं जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–29/19–20 में अंचल अधिकारी, परबत्ता के आदेश पत्रक 14.03.2020 के आलोक में संधारित किया गया। दोनों वाद में प्रश्नगत भूमि एक ही खेसरा से संबंधित होने के कारण तथा वाद की विषय वस्तु समान होने के कारण दोनों वादों को निस्तारण एक साथ कम्पोजिट आदेश से किया जा रहा है। अंचल अधिकारी, परबत्ता के उपरोक्त पत्रांक के साथ संलग्न हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन के अनुसार निम्न वर्णित भूमि अगुआनी घाट–सुल्तानगंज गंगा नदी पुल के सम्पर्क पथ हेतु चिन्हित की गई है :–

मौजा	थाना नं0	तौजी	खाता	खेसरा
बैसा	352	525	174	359

अंचल अधिकारी, परबत्ता ने जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 27/19–20 में जमाबंदी सं0 183 एल0आर0डी0 तथा जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 29/19–20 में जमाबंदी सं0 693 एल0आर0डी0 को इस आधार पर रद्द करने की अनुशंसा किये हैं कि इन दानों जमाबंदियों में खाता 174 खेसरा 359 की भूमि सन्निहत है जो खतियान में वकास्त भूमि के रूप में दर्ज है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रस्ताव के साथ खिस्टा खतियान की प्रति दाखिल किये है जिसमें वर्णित खेसरा खाता 174 में दर्ज है। विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता का मंतव्य दोनों वादों के अभिलेख पर प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने कथन किया है कि दोनों वादों का विषय वस्तु एक ही है इसलिए दोनों वादों को एक साथ निस्तारित किया जा सकता है।

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश गई कार्रवा बारे में टिप्प तारीख के साथ
1	2	3

दोनों वादों के विपक्षीगण वाद में वकालतन उपस्थित होकर अपना आपत्ति पत्र दाखिल किये जिसमें उन्होंने कथन किया है कि मौजा–वैसा की उपरोक्त खेसरा 359 की भूमि खाता 1 की भूमि है परन्तु आवेदक गलत ढंग से खेसरा 359 की भूमि को खाता 174 की भूमि बता रहे हैं। वे अपने दावे के समर्थन में खतियान की प्रति दाखिल किया है जो दावे का समर्थन करता है। विपक्षीगण ने अंकित किया है कि खाता 1 के खतियानी रैयत उनके पूर्वज कृपादयाल वल्द किसुन प्रसाद थे तथा खाता 1 के अन्तर्गत विभिन्न खेसरा के साथ–साथ प्रश्नगत खेसरा 359 का 18 वीघा 1 कट्ठा 4 धुर भूमि सम्मिलित थी। कृपादयाल के दो पुत्र अयोध्या मड़र एवं प्रयाग मड़र हुए। खतियानी रैयत के वारिसानों के बीच वर्ष 1938 में बंटवारा हुआ जिसमें उनके वारिसान तीतलाल मंडल को 34–16–9 हिस्सा मिला जिसमें कुछ जमीन बिक्री करने के पश्चात शेष रकवा 33–5–10 बचा जिसकी जमाबंदी सं0 183 एल0आर0डी0 तीतलाल मंडल के पौत्र रामस्वरूप मड़र, विन्देश्वरी मड़र तथा उचित नारायण के नाम से जमींदार उन्मूलन उपरांत गठित होकर चला आ रहा है। इसी प्रकार वर्ष 1938 के बंटवारा में प्रयाग मड़र के पुत्र राजपति मंडल को भी हिस्सा मिला। राजपति मंडल अपनी पत्नी धनेश्वरी देवी एवं एक पुत्री महजानी देवी को छोड़कर मृत हो गए। धनेश्वरी देवी ने अन्य भूमि के साथ–साथ खाता 1 खेसरा 359 का रकवा 0–15–0 महजानी देवी को निबंधित दानपत्र दिनांक 25.05.1978 द्वारा हस्तांतरित कर दिये और उक्त दानपत्र के आधार पर महजानी देवी के नाम से नामान्तरण होकर जमाबंदी सं0 693 गठित हुआ। इस प्रकार विपक्षी ने जमाबंदी सं0 183 एल0आर0डी0 एवं 693 एल0आ0डी0 को वैध एवं पुरानी जमाबंदी बताते हुए प्रस्तुत दोनों वादों को खारिज करने की प्रार्थना किये हैं।

सहायक सरकारी अधिवक्ता ने अपने मंतव्य में उल्लिखित किया है कि प्रथमदृष्ट्या प्रतीत होता है कि जमीन रैयती है तथा खतियान प्रकाशन के समय से विपक्षी के पूर्वज और हाल में विपक्षीगण दखलकार है। साथ ही उन्होंने पुल निर्माण को लोकहित का कार्य बताते हुए प्रश्नगत जमाबंदी से अर्जित जमीन की अराजी घटाने का निदेश किये हैं।

उभय पक्षों के अभिकथन एवं अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों विशेष रूप से जमाबंदी सं0 183 एवं 693 के पंजी–II की प्रति के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अंचल अधिकारी, परबत्ता द्वारा प्रतिवेदित दोनों ही जमाबंदियाँ पुरानी एवं भोलूम–I की है। जिनका मांग वर्ष 63–64 से दर्ज है और इनमें लगातार लगान रसीद निर्गत हुआ है। इन जमाबंदियों में पाँच–पाँच दाखिल खारिज हुए है जबकि अंचल अधिकारी, परबत्ता द्वारा खिस्टा खतियान के आधार पर खेसरा 359 की भूमि को खाता 174 की भूमि बतायी गयी

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

है जो बकास्त खाता की है जिसके आधार पर दोनों जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा किये है। विपक्षी की ओर से दाखिल क्रमिक खतियान की प्रति में खेसरा 359 की भूमि का खाता 1 दर्ज है तथा इसके रैयत कृपादयाल पे0–किसुन प्रसाद दर्ज है। यदि अंचल अधिकारी के द्वारा संलग्न किये गये खतियान को सही भी मान लिया जाय तो भी उक्त खतियान के रैयती कॉलम निम्नरूपेण दर्ज है। "बकास्त हकदार दरमियानी कृपा दयाल" इस खाता में कुल 18 खेसराओं में से 14वें खेसरा के रूप में खेसरा 359 दर्ज है। अर्थात् खतियान निर्मित होते समय भी कृपा दयाल दरमियानी हकदार थे। अंचल अधिकारी, परबत्ता द्वारा प्रेषित जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 27/19–20 एवं 29/19–20 के आदेश पत्रक के साथ संलग्न हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन में भी विरोधाभाष है क्योंकि जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 27/19–20 में संलग्न हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन में खेसरा 359 का खाता 174 अंकित है जबकि जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 296/19–20 में संलग्न प्रतिवेदन में खेसरा 359 का खाता 1 अंकित है। इस खाता वर्गीकरण विवाद को अपनी जगह मान भी लिया जाय तो यह तथ्य प्रमाणिक रूप से निर्विवाद है। "कृपा दयाल खेसरा 359 एवं अन्य खेसराओं के दरमियानी हकदार खतियान निर्माण तिथि से रहे है। विभागीय पत्रांक 925 दिनांक–11.11.2014 के कंडिका 3 (क) में यह प्रावधानित है कि ऐसी पुरानी जमाबंदियों का विखंडन का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में वाद पत्र अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, परबत्ता को भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञा० सं० 241 दिनांक 3.4.21
प्रतिलिपि- अंचल अधिकारी, परबत्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि- N.I.C. खगड़िया को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता
खगड़िया।